संख्या-697 सी0डी0/46-3-10-1000(75)/2009

प्रेषक,

विजय कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/
बीज उत्पादन अधिकारी,
(संलग्नक के अनुसार)।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 27 अप्रैल, 2010

विषयः- सघन गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सघन गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) के सामान्य कार्यक्रम के निमित्त श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु स्वीकृति अनन्तिम परिव्यय/ प्राविधानित धनराशि रू0 2,00,00,000.00 (रूपये दो करोड़ मात्र) का 50 प्रतिशत जो रू0 1,00,00,000.00 (रूपये एक करोड़ मात्र) होता है, को संलग्न विवरण के अनुसार सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण जिला योजना के निर्धारण के पश्चात किया जायेगा।

2- सघन गन्ना विकास योजनान्तर्गत निम्न कार्यक्रमों हेतु निर्धारित मानक के अनुसार धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी :-

(1) उन्नतशील गन्ना बीज उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रमः-

(क) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चीनी मिलों के फार्म तथा कृषकों के क्षेत्र पर आधार प्राथमिक तथा माध्यमिक पौधशालायें विभागीय निर्देशों के अनुसार रखी जायेगी एवं पौधशालाओं को निम्न दरों के अनुसार अनुदान दिया जायेगाः-

क्रमांक	पौधशाला	प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि (रूपये में)
1.	आधार पौधशाला	1000.00
2.	प्राथमिक पौधशाला	500.00

अनुदान की धनराशि का भुगतान चीनी मिल की संस्तुति तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के सत्यापन के उपरान्त कृषकों को भुगतान एकाउण्ट पेई चेक द्वारा किया जायेगा।

(ख) शोध परिषद केन्द्रों पर उत्पादित केन्द्रक बीज (शीघ्र पकनेवाली जाति) के वास्तविक बीज वितरण पर अनुदान इस बीज वितरण हेतु चीनी मिल के फार्म एवं कृषकों की सूची चीनी मिल द्वारा बनाकर गन्ना विकास परिषद को उपलब्ध करायी जायेगीं चीनी मिल के फार्म तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि वितरण में वरीयता दी जायेगी तथा गन्ना शोध परिषद के दोनों केन्द्रों को शीघ्र पकनेवाली जाति के वास्तविक बीज वितरण पर राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य के 15 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जायेगा।

(ग) गन्ना शोध केन्द्र के केन्द्रक बीज के यातायात पर आने वाले व्यय का वहन संबंधित चीनी मिलों द्वारा किया जायेगा।

(2) <u>बीज उपचार एवं भूमि उपचार कार्यक्रमः-</u>

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 प्रतिशत अनुदान 2500 टी0सी0डी0 क्षमता वाली मिलों को दिया जायेगा। उससे अधिक क्षमता वाली चीनी मिलों को केवल 12.5 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

3- आवंटित धनराशि को किसी ऐसी मद पर न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैण्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

4- इस धनराशि से सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना में होने वाली बचतों में समायोजित किया जायेगा।

5- योजना में निहित राज सहायता/सहायक अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा उपयोग प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा। इस संदर्भ में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के अध्याय-16ए ग्रान्ट इन रोड तथा वित्त(लेखा) अनुदान के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-238/दस-15(18)/63 दिनांक 17-1-79 में निर्दिष्ट अनुदेशों तथा इसके साथ संलग्न नियमों को ध्यान में रखे तथा उनका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला गन्ना अधिकारी द्वारा आहरित कर संबंधित गन्ना विकास परिषदों को उपलब्ध करायी जायेगी उपर्युक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि का वितरण संबंधित गन्ना विकास परिषदों द्वारा जिला गन्ना अधिकारी के अनुमोदन से किया जायेगा तथा शासनादेश संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/ 2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 में दिये गये निर्देशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

7- जनपदवार स्वीकृत की जाने वाली धनराशि की सीमा तक जनपद की जिला योजना में विभागीय अधिकारी द्वारा आवश्यक परिव्यय प्राविधान सुनिश्चित किया जायेगा और यदि स्वीकृत धनराशि से भिन्न परिव्यय

जनपद विशेष में जिला योजना के अधीन उभरकर आता है, तो उपलब्ध होने वाले परिव्यय के अनुसार यथासमय स्वीकृतियां संशोधित की जायेंगी। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा नियमानुसार औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए धनराशि व्यय की जायेगी।

8- स्वीकृत धनराशि के समक्ष व्यय वित्त नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16ए में ग्रान्ट-इन-ऐड के सम्बन्ध में दिये गये सामान्य नियमों के साथ-साथ संगत नियमों तथा आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूरी करने के बाद किया जायेगा।

9- स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं/ मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुर्नविनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या बी-1-951/ दस-2010-231/ 2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या-23 के अधीन लेखा शीर्षक "2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-108-वाणिज्यिक फसलें-06-गन्ना विकास की योजना (जिला योजना)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

11- उक्त स्वीकृति आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0- बी-1-951/ दस-2010-231/ 2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकःउपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(विजय कुमार तिवारी)
उप सचिव।

संख्या-697 सी0डी0/46-3-10-1000(75)/2009 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा हकदारी प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त , उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त संबंधित जिलाधिकारी।
4. उपरोक्त जनपदों के समस्त कोषाधिकारी।
5. समस्त संबंधित मण्डलायुक्त।
6. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
7. नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त(बजट)अनुभाग-1
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार तिवारी)
उप सचिव।

23/4/10

शासनादेश संख्या-697 सी0डी0/46-3-10-1000(75)/2009 दिनांक 27 अप्रैल,2010 का संलग्नक।

(धनराशि हजार रूपये में)

अनुदान संख्या-23

हजार रू0 में

क्र0 सं0	जनपद/मण्डल	उ0ग0बी0 कार्यक्रम	बीज/भूमि उपचार	पेड़ी प्रबन्ध	योग
1	सहारनपुर	300	410	140	850
2	मु0नगर	300	110	166	576
	योग मण्डल	**600**	**520**	**306**	**1426**
3	मेरठ	300	430	46	776
4	बागपत	275	410	46	731
5	गाजियाबाद	200	160	14	374
6	बुलन्दशहर	300	260	16	576
	योग मण्डल	**1075**	**1260**	**122**	**2457**
7	बिजनौर	300	460	62	822
8	जे0पी0नगर	190	170	40	400
9	मुरादाबाद	180	250	14	444
10	रामपुर	130	180	20	330
	योग मण्डल	**800**	**1060**	**136**	**1996**
11	बरेली	200	145	20	365
12	बदायूं	40	30	0	70
13	पीलीभीत	160	380	30	570
14	शाहजहांपुर	70	43	0	113
15	काशीराम नगर	40	20	0	60
16	अलीगढ	30	15	4	49
17	मथुरा	20	15	0	35
	योग मण्डल	**560**	**648**	**54**	**1262**
18	लखीमपुर-खीरी	300	550	62	912
19	सीतापुर	130	140	20	290
20	हरदोई	100	100	6	206
21	रायबरेली	4	0	0	4
22	कानपुर नगर	10	0	0	10
23	फर्रूखाबाद	15	25	0	40
	योग मण्डल	**559**	**815**	**88**	**1462**
24	फैजाबाद	25	30	6	61

क्र0 सं0	जनपद/मण्डल	उ0ग0बी0 कार्यक्रम	बीज/भूमि उपचार	पेडी प्रबन्ध	योग
25	सुल्तानपुर	15	20	0	35
26	बाराबंकी	25	20	6	51
27	जौनपुर	8	15	0	23
28	गाजीपुर	8	2	0	10
29	वाराणसी	5	0	0	5
30	अम्बेडकरनगर	35	40	12	87
31	संतरविदासनगर	2	0	0	2
	योग मण्डल	**123**	**127**	**24**	**274**
32	गोण्डा	30	30	0	60
33	बलरामपुर	160	70	0	230
34	बहराइच	20	40	0	60
	योग मण्डल	**210**	**140**	**0**	**350**
35	गोरखपुर	40	30	2	72
36	बस्ती	40	40	0	80
37	महराजगंज	60	90	0	150
38	सिद्धार्थनगर	2	1	0	3
39	संत कबीरनगर	8	4	0	12
	योग मण्डल	**150**	**165**	**2**	**317**
40	देवरिया	50	80	4	134
41	कुशीनगर	100	180	14	294
42	मऊ	23	5	0	28
43	बलिया	0	0	0	0
44	आजमगढ़	0	0	0	0
	योग मण्डल	**173**	**265**	**18**	**456**
	सम्पूर्ण योग	4250	5000	750	10000

(रू0 एक सौ लाख मात्र)

(विजय कुमार तिवारी)
उप सचिव।

saghan Ganna Go2-60